



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू— तल, ब्लॉक—6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2700459

E-Mail:- RAJSMSA.CIVIL@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:- F-5(1)(187)RCSCE/Civil/SMSA/NIT 2023-24/2023/Vol-46/D-

9153

दिनांक: 20/02/2024

## अल्पकालीन ई—निविदा सूचना संख्या 28 (सिविल) / 2023—24 (छात्रावास भवन निर्माण कार्यो हेतु)

राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यो हेतु पंजीकृत संवेदकों से प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना में स्वीकृत 4 छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यो हेतु राशि रु. 736.36 लाख (प्रति कार्य की राशि रूपये 184.09 लाख) बाबत् कार्यवार ई—टेण्डरिंग के माध्यम से अल्पकालीन ई—निविदाएँ 20/02/2024 प्रातः 10.00 बजे से 21/02/2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

- निविदा से सम्बन्धित समस्त विस्तृत विवरण वेबसाईट <http://rajsmsa.nic.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> एव <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- निविदा से सम्बन्धित प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय सम्बन्धित जिला के स्तर से की जावेगी।

UBN is: RSE2324WSOB02674

(अविचल चतुर्वेदी)  
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू-तल, ब्लॉक-6, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।

फोन:- 0141-2700459, E-Mail:- rajsmsa.civil@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- F-5(1)(187)RCSCE/Civil/SMSA/NIT/2023/Vol-46/D- 9153

दिनांक: 20/02/2024

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 28 (सिविल)/2023-24

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा, राजस्थान की ओर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों से प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना में स्वीकृत 4 छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार ई-टेप्डरिंग के माध्यम से अल्पकालीन ई-निविदाएँ 23/02/2024 प्रातः 10.00 बजे से 29/02/2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

S. No.	DISTRICT	NAME OF BLOCK	NAME OF HOSTEL	NAME OF WORK	NIT Amount (Rs. In Lacs)
Scheme & Year :- PMJANMAN 2023-24 A & F Sanction No. 9026 Dated 17/02/2024 (PAB 2023-24 (PM-JANMAN))					
1	Baran	Kishanganj	RELAWAN	Construction of Boys Hostel (Capacity-50 bedded)	184.09
2	Baran	Shahbaad	KASBA NONERA	Construction of Girls Hostel (Capacity-50 bedded)	184.09
3	Baran	Kishanganj	GARDA	Construction of Boys Hostel (Capacity-50 bedded)	184.09
4	Baran	Kishanganj	BARUNI	Construction of Boys Hostel (Capacity-50 bedded)	184.09
<b>Total</b>					<b>736.36</b>

निविदा प्रपत्र को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://rajsmsa.nic.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करवानी होगी।

1 Performance Security का नियम RTPP Rules, 2013 के नियम 75 के अनुसार सफल संवेदक पर लागू होगा।

2 "Additional Performance Security :-

(1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through, Demand Draft, Banker's Cheque or Bank Guarantee.

**Explanation : For the purpose of this rule,-**

- (i) Unbalanced Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.
- (ii) Estimated Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.
- (iii) Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimated Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder.

(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor.

3 कार्यों के पूर्ण करने की अवधि निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.सं.	कार्य की लागत	मरम्मत कार्य	नवीन कार्य
1	Upto Rs 10 lacs	2 Months	4 Months
2	Above Rs 10 lacs & upto Rs 50 lacs	4 Months	6 Months
3	Above Rs 50 lacs & upto Rs 200 lacs	-	8 Months
4	Above Rs 200 lacs & upto Rs 1000 lacs	-	12 Months

4 फर्म का सक्षम स्तर का संवेदक का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं वैध GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।

- 5 निर्माण कार्य जिनकी लागत रु. 200.00 लाख से अधिक है उन कार्यों की निविदाओं के लिए पोटेंशियल बिड पद्धति अपनाई जायेगी एवं तकनीकी आंकलन में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जावेगी।
- 6 100 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए निविदा की विशेष शर्तों में निम्न शर्त भी लागू होगी :—

(i) The Contractor is responsible for concrete job mix & soil bearing test for design of RCC members in the work which includes the submission of General Arrangement Drawing for columns, beams etc. After approval of GAD by the Engineer in-charge, he will carry out the detailed design of RCC and other members from the structural consultant and proof checking from any Govt. Engineering College or any other recognized Govt. Institute and submit the same to Engineer in-charge within 30 days of issue of work order. After submitting the design and bar bending schedule of RCC work, the approval will be given by the Engineer in-charge. Only there after he will start the work. No extra amount will be payable for this work.

(ii) Quality control lab will be established at site within 15 days of issue of work order. The Contractor will be responsible for conducting all necessary quality control tests. Contractor has to submit a copy of all test reports and records to Engineer in charge along with bills and also keep a copy at site.

No extra amount will be payable for this work.

- 7 निर्माण कार्यों की Defect Liability Period (दोष निवारण अवधि) निम्नानुसार होगी :—

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	दोष निवारण अवधि
1	भवन निर्माण / सुदृढ़ीकरण / विशेष मरम्मत कार्य (राशि रुपये 10.00 लाख से अधिक के कार्य)	5 वर्ष
2	भवन निर्माण / सुदृढ़ीकरण / विशेष मरम्मत कार्य (राशि रुपये 10.00 लाख तक के कार्य)	3 वर्ष

8 Escalation Clause no 45 & 45 A shall be deemed to be deleted from the agreement.

9 नलकूप/बोरिंग के कार्यों हेतु संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से भू-जल विभाग/बोर्ड से पानी की उपलब्धता का पत्र/प्रमाणपत्र/फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर ही कार्य किया जायेगा, जिसका व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

10 नलकूप/बोरिंग के न्यूनतम डिसचार्ज (पी.एच.इ.डी. द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार) होने पर ही नलकूप/बोरिंग का भुगतान किया जायेगा।

11 नलकूप/बोरिंग सूखा होने की स्थिति में पी.एच.इ.डी. द्वारा जिन आईटमों का भुगतान किया जाता है उन्ही आईटमों का भुगतान संवेदक को किया जायेगा।

12 कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु. ग्यारह/जीएसटी/2023-24/डी- 44 दिनांक 04.05.2023 की पालना अक्षरशः सुनिश्चित कि जाये।

जिन बोलियों में बीओक्यू अब अपलोड किया जाना है—

जिन बोलियों में बीओक्यू अब अपलोड किया जाना है उनमें बीओक्यू की दरें जीएसटी रहित ली जावें अर्थात् वर्ष 2022-23 की बीएसआर के प्रत्येक आईटम पर 18 प्रतिशत राशि कम करके बीओक्यू अपलोड किया जावे, यह व्यवस्था नवीन बीएसआर वर्ष 2023-24 जारी होने तक ही लागू रहेगी। उक्त प्रकार से कम की गई राशि में टेप्डर प्रीमियम कम या अधिक करने के पश्चात् प्राप्त राशि का 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर कार्यादेश राशि का निर्धारण किया जाये।

उक्तानुसार 18 प्रतिशत राशि का संवेदकों को पृथक से भुगतान करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाये।

13 सभी शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

14 निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि दिनांक 23/02/2024 प्रातः 10.00 बजे से 29/02/2024 को सांय 6.00 बजे तक होगी।

15 (अ)— निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 29/02/2024 सांयकाल

6.00 बजे तक जमा करवायें जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें, इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर संबंधित जिला परियोजना समन्वयक द्वारा दिनांक 01/03/2024 को अपराह्न 02.00 बजे खोली जाएंगी। यदि उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेंगी।

(ब) निविदा जमा करवाने एवं उसके बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया आनलाइन होगी।

16 संबंधित जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 23/02/2024 से 29/02/2024 तक किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 4.00 बजे अपरान्ह तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://rajsmsa.nic.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर भी दिनांक 29/02/2024 को सांय 06.00 बजे तक देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना, निविदादाता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

17 निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु निम्नलिखित राशि सम्बन्धित अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करवाना होगा।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	Rs.1000/- (Bid value up to Rs. One Crore) Rs.2000/- (Bid value more than Rs. One Crore and upto Rs. Two Crore) Rs.5000/- (Bid value more than Rs. Two Crore)	DD/ Bankers Cheque Issued by Nationalised or Scheduled Bank	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के नाम
2	Bid Security राशि	2% of NIT Amount	DD/ Bankers Cheque Issued by Nationalised or Scheduled Bank	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के नाम
3	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/- (Bid value up to Rs. 50.00 lacs) 1500/- (Bid value more than Rs. 50.00 lacs and upto Rs. One Crore) 2000/- (Bid value more than Rs. One Crore and upto Rs. Five Crore) 2500/- (Bid value more than Rs. Five Crore)	DD/ Bankers Cheque Issued by Nationalised or Scheduled Bank	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से Managing Director, RISL Jaipur के नाम

निविदा शुल्क, Bid Security राशि एवं 'ई-टेंडरिंग' प्रक्रिया शुल्क से सम्बन्धित दस्तावेज निविदादाता द्वारा सम्बन्धित जिला कार्यालय में दिनांक 01/03/2024 को 12.00 बजे मध्यान्ह तक जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से संबंधित प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय सम्बन्धित जिला के स्तर से की जावेगी।

18 निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://rajsmsa.nic.in> एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर ही किये जायेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेबसाइट पर संशोधन / स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19 ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश

अ निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एकट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

ब निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

स इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।


द किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।

य निविदा प्रपत्र की सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर आँलाइन दर्ज करे।

- र ऑनलाइन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
- ल सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- व निविदा एवं उसके किसी भी भाग को प्रत्याहारित करने का पूर्ण अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर को है।
- श किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र कार्य से संबंधित जिले का जिला मुख्यालय होगा।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा  
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

मू- तल, ब्लॉक-6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जयपुर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं. 0141-2730459

प्रभाक.- F-5(1)(58)RCSCE/CIVIL/SMSA/All Other Scheme NIT 2019-20/2020/D-4746

E-Mail:- RAJSMSA.CIVIL@RAJASTHAN.GOV.IN

दिनांक: ३०/११/२०२१

जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा अभियान  
जिला - संभरता।

**विषय :-** निविदा दस्तावेजों को वित्त विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार तैयार करने यावत्।

**सन्दर्भ :-** वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर लेख है कि निर्माण कार्यों के निविदा दस्तावेजों को वित्त विभाग के जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या "75A" के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को समिलित करना सुनिश्चित करें : -

## Additional Performance Security

(1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through, Demand Draft, Banker's Cheque or Bank Guarantee.

Explanation: For the purpose of this rule,-

- Unbalanced Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.
- Estimated Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.
- Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimated Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder.

(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor.

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार

(डॉ. भंवर लाल)  
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा  
एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा